दिनांक 21.05.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में उत्तर प्रदेश, उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा संचालित "गेहूँ क्रय केन्द्र पूरे बाबू" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.05.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम पूरे बाबू में उत्तर प्रदेश, उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा संचालित गेहू क्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, श्री महेन्द्र कुमार तहसीलदार पट्टी, श्री चण्डी प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (को–आपरेटिव), प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित प्रभारी सचिव श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय से उक्त केन्द्र पर गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में पूँछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस केन्द्र पर अभी तक कोई भी खरीद नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त निरीक्षण के कुछ समय पूर्व विकास खण्ड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान श्री चण्डी प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (को–आपरेटिव) से गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में पूँछताछ करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त केन्द्र पर 20 कुन्तल गेहूँ की खरीद पूर्व में की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि उक्त केन्द्र के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव द्वारा गेहूँ खरीद से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री चण्डी प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (को–आपरेटिव) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को गलत सूचना दी गयी। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में सहायक निबन्धक सहायक समितियाँ प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया कि प्रभारी सचिव श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध नियमानुसार निलम्बन हेतु पत्रालेख तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही श्री चण्डी प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (को–आपरेटिव), पट्टी के दिनांक 21.05.2016 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(9)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 914/शिविर–2016 दिनांक : मई 22, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिलाधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़।
4. सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतागपढ़।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ/अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।